बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0–11 / विविध–03–01 / 2015–   पटना, दिनांक–

आदेश

मुख्य अभियंता औरंगाबाद परिक्षेत्राधीन उत्तर कोयल वितरणी प्रमंडल, कुर्था अन्तर्गत नारायणपुर वितरणी के वि0दू0 0.00 से 40.00 तक पुनर्स्थापन कार्य एवं विभिन्न संरचनाओं के निर्माण कार्य से संबंधित निविदा के साथ आपके द्वारा दिये गये अभिलेख का फर्जी होने का परिवाद विभाग में प्राप्त हुआ था । दिनांक– 14.01.15 को सम्पन्न तकनीकि बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में परिवाद की जॉच कराने का निर्णय हुआ । संवेदक द्वारा निविदा के साथ वाहन संख्या– BHH/9071 तथा BR02M- 2647 होने का साक्ष्य दिया गया था । जिसका सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी, गया से कराने पर बताया गया कि निबंधन संख्या– BHH/9071, BIM- 0571 का निबंधन उनके कार्यालय में नहीं हुआ है । साथ ही साथ वर्ष 2012–13 में संवेदक द्वारा दिया गया टर्न ओवर से संबंधित ऑडिट रिर्पोट नकली एवं फर्जी होने का भी परिवाद था । आयकर कार्यालय, गया से इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली । निविदा के साथ संलग्न शपथ पत्र में संवेदक द्वारा कहा गया कि संलग्न अभिलेख सही है । जॉच प्रतिवेदन एवं निविदा के साथ समर्पित शपथपत्र एवं वाहन संबंधी जॉच पत्र संलग्न करते हुए निबंधन नियमावली के नियम – 11 (ख) में निहित प्रावधानों के तहत पत्रांक– 2233 दिनांक– 28.04.2015 के कारण पृच्छा की गई ।

उपर्युक्त कारण पृच्छा का उत्तर मेसर्स शारदा कंस्ट्रक्शन के पार्टनर द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक– 15.05.15 द्वारा उपलब्ध कराया गया । उनके कारण पृच्छा में दिये गये तथ्यों के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल वितरणी प्रमंडल कुर्था से विभागीय पत्रांक– 3118 दिनांक– 03.07.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–461 दिनांक– 03.08.15 द्वारा निविदा संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराया गया ।

सभी अभिलेखों के आधार पर संवेदक के कारणपृच्छा की समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया कि निविदा के साथ अपलोड किये गये वाहनों के संबंध में एक शपथपत्र संवेदक द्वारा दिया गया है । लेकिन शपथपत्र के अलावे वाहन संख्या–BHM- 5071(ट्रक), BR-2M- 2641(डंपर) , BIM- 0571 (ट्रक) से संबंधित अभिलेख भी अपलोड किया गया है जो मेसर्स सागर कंस्ट्रक्शन, प्रो0– राधेश्याम शर्मा, लोदीपुर कोच, गया के नाम से निबंधित है और उन अभिलेखों पर मेसर्स सागर कंस्ट्रक्शन के पार्टनर अजय कुमार द्वारा हस्ताक्षरित है।

कार्यपालक अभियंता उत्तर कोयल वितरणी प्रमंडल, कुर्था द्वारा वाहनों का सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी, गया से सत्यापित कराया गया । जिला परिवहन पदाधिकारी गया द्वारा कार्यपालक अभियंता को सूचित किया गया कि BHH-9071, BIM- 0571 का निबंधन जिला परिवहन गया में नहीं किया गया है । जबकि वाहन संख्या– BR2M-2647 श्री अजय टोरी जवाहर नगर मानपुर, गया के नाम निबंधित है ।

उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा निविदा के साथ अपलोड किये गये तीन वाहनों का कागजात जिसका उल्लेख शपथपत्र में नहीं है, फर्जी था ।

अतः उपर्युक्त के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली– 2007 के नियम – 11 (क) (vii) में वर्णित कदाचार यथा ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत कागजात समर्पित करना प्रमाणित पाते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के नियम – 11 ग तथा विभागीय आदेश ज्ञापांक– 909 दिनांक– 17.12.15 के कंडिका 4 के प्रावधान के तहत मेसर्स सागर कंस्ट्रक्शन विलेज– लोदीपुर, पोस्ट– बडगॉव, जिला– गया, निबंधन संख्या– 35 / 2014 (श्रेणी प्रथम) तथा उनके सभी पार्टनर को दस वर्षो के लिए कालीसूची में डाला जाता है ।

ह0 / –
(रामपुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (दक्षिण) ।

कृ0पृ0उ0–2

TSC-1/ ON DESKTOP/TSP/01-16/Sec-11